भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2430

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

हाई-टेंशन विद्युत पारेषण लाइनों और खंभों की सुरक्षा जांच और संरचनात्मक मज़बूती

2430. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के समन्वय से देशभर में हाई-टेंशन (एचटी) विद्युत पारेषण लाइनों और खंभों की, विशेषकर उनके गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं के आलोक में, संरचनात्मक मज़बूती और सुरक्षा की जांच करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत उपभोग/वितरण कंपनियों के लिए हाई-टेंशन विद्युत पारेषण लाइनों और खंभों की आवधिक जांच करना और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी जांचों की आवधिकता क्या है और इन अनिवार्यताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अधिसूचित तकनीकी मानकों के माध्यम से विद्युत लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। इस संबंध में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) [विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक] विनियम, 2022 में खंभों और तारों को मजबूत करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय मानक आईएस- 802:2015 के अनुसार पारेषण लाइनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो, उन्हें पुनः मजबूत किया जाना चाहिए।

सीईए (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, विद्युत स्टेशनों, सबस्टेशनों, पारेषण और वितरण लाइनों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करता है। ये विनियम विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हैं और विद्युत प्रतिष्ठानों के आवधिक निरीक्षण और परीक्षण का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा, विनियम आपूर्तिकर्ता, स्वामी या उपभोक्ता द्वारा विद्युत लाइनों सहित विद्युत प्रतिष्ठानों के आवधिक निरीक्षण या स्व-प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाता है। उपयुक्त सरकार वोल्टेज स्तर और आवधिकता का निर्धारण करेगी, बशर्ते कि विद्युत निरीक्षण और स्व-प्रमाणीकरण की आवधिकता पांच वर्ष से अधिक न हो।

विद्युत निरीक्षक द्वारा निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज वाली विद्युत लाइनों सहित विद्युत प्रतिष्ठानों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। निर्धारित वोल्टेज के बराबर या उससे कम वोल्टेज वाली विद्युत लाइनों के लिए आपूर्तिकर्ता, स्वामी या उपभोक्ता के पास उपयुक्त सरकारी विद्युत निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिष्ठान का निरीक्षण और परीक्षण करवाने या उपयुक्त सरकारी चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स (सीईएसई) की सहायता से आवधिक स्व-प्रमाणन करवाने का विकल्प होता है।

सीईए द्वारा वर्ष 2018 में चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स (सीईएसई) को अधिकृत करने संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। हितधारकों के सुझावों के अनुसार, सीईए द्वारा इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है। राज्यों में एकसमान योग्यता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सीईए द्वारा चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स (सीईएसई) के लिए एक संरचित प्रमाणन कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। इन कदमों से सीईएसई फ्रेमवर्क अधिक प्रभावी होगा।

केंद्र सरकार की इमारतों के विद्युत सुरक्षा निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के माध्यम से एक डिजिटल रिपोर्टिंग और अनुपालन तंत्र पहले से ही कार्यरत है। यह पोर्टल आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता है और केंद्र सरकार की इमारतों के लिए विद्युत सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी को सुगम बनाता है।

इसके अलावा, विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, विद्युत वितरण एक लाइसेंसी गतिविधि है और संबंधित वितरण लाइसेंसधारक का यह कर्तव्य है कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक कुशल, सुरक्षित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित करे और उसका रखरखाव करे। अतः, वितरण यूटिलिटी की यह जिम्मेदारी है कि वे हाई टेंशन और लो टेंशन लाइनों के खंभों और तिरछे तारों की मजबूती की जांच करने सहित वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय करें, ताकि अपने प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

****